न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 18/2018 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00079

उनवान

1. प्रभू सिंह दत्तक पुत्र उमराव सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पूंठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर। (फौत)
   1/1. रामसनेही विधवा प्रभू सिंह
   1/2. सुगर सिंह
   1/3. अशोक
   1/4. ओमवीर
   1/5. राकेश
   } पुत्र प्रभू सिंह } नि0 पूंठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   1/6. मुन्नी पत्नि भगवान सिंह पुत्री प्रभू सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्वालियर म0प्र0।
   1/7. मीरा पत्नि सुरेश पुत्री प्रभू सिंह जाति ठाकुर निवासी चुस्सलई तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0।
   1/8. ऊषा पत्नि परषोत्तम पुत्री प्रभू सिंह जाति ठाकुर निवासी भोलापुरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0।
   1/9. गुड्डी पत्नि मुकेश पुत्री प्रभू सिंह जाति ठाकुर निवासी अजनाद तहसील व जिला भिण्ड।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामवीर सिंह पुत्र घासीराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम पूंठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा बसेडी जिला धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 14.06.2016 प्र0स0 11/2008 उनवान वेदरिया बनाम प्रभू।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दिलीप शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 27.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 संख्या 01 के पूर्वाधिकारी वेदरिया द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 02 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम मूडिक तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है, के खातेदार मानपाल पुत्र हरगोविन्द थे। मानपाल ने दिनांक 18.04.1973 को जरिये विक्रय पत्र दुर्गाप्रससाद, राजाराम, पन्नाराम पुत्रगण छीतरिया जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मूडिक को विक्रय कर दिया व दिनांक 16.05.1973 को दुर्गाप्रसाद, राजाराम वगै0 ने विवादित आराजी को वेदरिया पुत्र घासीराम जाति ठाकुर को विक्रय कर दिया। वेदरिया उसी समय से विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 21.04.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद होकर वास्ते बहस दिनांक 26.05.2016 नियत की गयी। इसी दौरान प्रशासन गॉव के संग अभियान आ गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 14.06.2016 को प्रशासन गॉव के संग में रखकर अंतिम निर्णय कर दिया। अपीलाण्ट को प्रकरण प्रशासन गॉव के संग में रखने की कोई सूचना ही नहीं दी गयी। अभियान में वादी एवं प्रतिवादी दोनों की कोई उपस्थिति नहीं थी। फिर भी फैसला कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अभियानो में प्रकरण उभयपक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति/राजीनामा से ही निर्णित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ना तो उभयपक्ष उपस्थित रहे हैं एवं ना ही उनमें कोई राजीनामा ही हुआ। पूर्व में विवादित आराजी को लेकर रैस्पो0 के विरूद्ध निर्णय हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। पत्रावली अंतिम बहस में थी। प्रशासन गॉव के संग अभियान का राज्य सरकार एवं प्रशासन महिनो पूर्व समाचार पत्र/पम्पलेट/नोटिस बोर्ड/ आदि से प्रचार प्रसार करती है। अतः पृथक से सूचना दिये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय दिया है। रैस्पो0 को पूरा अनुतोष भी नहीं दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में दिनांक 21.04.2016 को अग्रिम पेशी वास्ते बहस अंतिम दिनांक 26.05.2016 नियत की गयी थी। दिनांक 26.05.2016 को प्रकरण में कोई आदेशिका अंकित नहीं की गयी एवं प्रकरण सीधे दिांक 14.06.2016 को प्रशासन गॉव के संग अभियान में रखकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण अभियान में रखने बाबत् पक्षकारो को सूचना दी गयी हो, ऐसा भी कोई तामील शुदा सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं ना ही वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

एवं प्रतिवादी की आदेशिका में कोई उपस्थिति अथवा हस्ताक्षर अंकित हैं। जिससे स्पष्ट हो कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय वादी एवं प्रतिवादी अभियान में उपस्थित थे। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होना भी किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं है। लिहाजा बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 30.09.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर